सवाल नं० 379
फीस 7=50
सीट 62
अनु० शब्द 297

न्यायालय उपजिला अधिकारी मेंहदावल

प्रेमादेवी आदर्श सेवासमिति बनाम ग्राम पंचायत	वाद सं०-202217650303648 धा० 30 प्र० रा० सं० ग्राम कोदैला तप्पा व तहसील मेंहदावल परगना मगहर पश्चिम जनपद संतकबीर

नकल आदेश दि० 13/07/2022 की फोटो प्रति संलग्न है।

28
7251

न्यायालय उपजिलाधिकारी मेंहदावल

मण्डल:- बस्ती,जनपद:- सन्तकबीर नगर,तहसील:- मेंहदावल

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 3648/2022

प्रेमा देवी आदर्श सेवा समिति बनाम नगर पंचायत

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202217650303648

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 13/09/2022

अंतिम आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गई। वादी प्रेमा देवी आदर्श सेवा समिति द्वारा प्रबन्धक चन्द्रशेषर पाण्डेय साकिन अछिया तप्पा मेंहदावल द्वारा उ0 प्र0 रा0 सं0 2006 की धारा 80/81 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कहा गया कि मौजा अछिया तप्पा मेंहदावल के निवासी है तथा प्रश्नगत आराजी उपरोक्त का संक्रमणीय भूमिधर खातेदार है। मौजा अछिया तप्पा मेंहदावल के गाटा सं0 29मि/0.5400 हे0 भूमि पर वादी द्वारा विद्यालय भवन हेतु मकान बना हुआ है। जिसमे कृषि कार्य नही हो रहा है। प्रश्नगत आराजी निजाई के रकबा 0.5400 हे0 में कृषि कार्य, मत्स्य पालन, बागवानी हो रहा है। वादी द्वारा मौजा अछिया तप्पा मेंहदावल के गाटा सं0 29मि/0.5400 हे0 को अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार मेंहदावल से करायी गयी। तहसीलदार मेंहदावल की आख्या दिनांक 09.09.2022 के अनुसार ग्राम अछिया तप्पा मेंहदावल के गाटा सं0 29मि/0.5400 हे0 पर वादी द्वारा प्रेमा देवी आदर्श सेवा समिति द्वारा संचालित भवन मय सहन बना हुआ है। उक्त भूमि पर 73 लाख प्रति हे0 की दर से रकबा 0.5400 हे0 का मूल्यांकन 39450/- होता है। उक्त भूमि पर 73 लाख प्रति हे0 की दर से रकबा 0.5400 हे0 भूमि का 01 प्रतिशत उदघोषणा शुल्क 39450/रू0 होता है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम अछिया तप्पा मेंहदावल के आराजी संख्या 29मि/0.5400 हे0 पर वादी द्वारा प्रेमा देवी आदर्श सेवा समिति द्वारा संचालित भवन मय सहन बना हुआ है। प्रश्नगत आराजी कृषि योग्य नहीं है। वादी द्वारा 01 प्रतिशत उदघोषणा शुल्क 39450/रू0 भारतीय स्टेट बैंक मेंहदावल में चालान संख्या आई0डी0 00001 से दिनांक 13.09.2022 को जमा किया गया है। विधि व्यवस्था के अनुसार गाटा सं0 29मि/0.5400 हे0 अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार मेंहदावल की आख्या दिनांक 09.09.2022 स्वीकार की जाती है। ग्राम अछिया तप्पा मेंहदावल परगना मगहर पूरब तहसील मेंहदावल जनपद सन्तकबीर नगर के खतौनी सन 1425-1430 फ0 के खाता सं0 21 के गाटा स0 29मि/0.5400 हे0 प्रेमा देवी आदर्श सेवा समिति अछिया मेंहदावल सन्तकबीर नगर द्वारा सचिव/प्रबन्धक चन्द्रशेषर पाण्डेय पुत्र रामनरायन पाण्डेय साकिन अछिया तप्पा मेंहदावल के पक्ष मे अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

उपजिलाधिकारी

मेंहदावल सन्तकबीरनगर।

13-9-22

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित दिनांकित एवं उदघोषित किया गया।

उपजिलाधिकारी

मेंहदावल, सन्तकबीरनगर।

13-9-22

सत्य प्रतिलिपि

अहलमद माल/फौजदारी
न्यायालय उपजिलाधिकारी/
उपजिला मजिस्ट्रेट
मेंहदावल (सन्त कबीर नगर)
14/9/2022

13-9-2022
14-9-2022
14-9-2022

मण्डल:- बस्ती,जनपद:- सन्तकबीर नगर,तहसील:- मेहदावल

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 3155/2022

प्रेमा देवी आदर्श सेवा समिति बनाम नगर पंचायत

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202217650303155

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 10/08/2022

अंतिम आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गई। वादी प्रेमा देवी आदर्श सेवा समिति द्वारा प्रबन्धक चन्द्रशेषर पाण्डेय साकिन अछिया तप्पा मेंहदावल द्वारा उ0 प्र0 रा0 सं0 2006 की धारा 80/81 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कहा गया कि मौजा अछिया तप्पा मेंहदावल के निवासी है तथा प्रश्नगत आराजी उपरोक्त का संक्रमणीय भूमिधर खातेदार है। मौजा अछिया तप्पा मेंहदावल के गाटा सं0 83/1.001 हे0 भूमि पर वादी द्वारा विद्यालय भवन हेतु मकान बन रहा है, जो आवासीय इस्तेमाल कर रहे है, जिसमे कृषि कार्य नही हो रहा है। प्रश्नगत आराजी निजाई के रकबा 0.501 हे0 में कृषि कार्य, मत्स्य पालन, बागवानी हो रहा है। वादी द्वारा मौजा अछिया तप्पा मेंहदावल के गाटा सं0 83/1.001 हे0 मे से 0.501 हे0 को अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार मेंहदावल से करायी गयी। तहसीलदार मेंहदावल की आख्या दिनांक 08.08.2022 के अनुसार ग्राम अछिया तप्पा मेंहदावल के गाटा सं0 83/1.001 हे0 मे से 0.501 हे0 पर वादी द्वारा नींवशुदा बाउण्ड्री बनाकर काबिज दखील है। उक्त भूमि पर 73 लाख प्रति हे0 की दर से रकबा 0.501 हे0 का मूल्यांकन 36573/- होता है। उक्त भूमि पर 73 लाख प्रति हे0 की दर से रकबा 0.501 हे0 भूमि का 01 प्रतिशत उदघोषणा शुल्क 36573/रू0 होता है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम अछिया तप्पा मेंहदावल के आराजी संख्या 83/1.001 हे0 मे से 0.501 हे0 पर वादी द्वारा नीवशुदा बाउण्ड्री बनाकर काबिज दखील है। प्रश्नगत आराजी कृषि योग्य नही है। वादी द्वारा 01 प्रतिशत उदघोषणा शुल्क 36573/रू0 भारतीय स्टेट बैंक मेंहदावल में चालान संख्या एच 800044 से दिनांक [illegible]08.2022 को जमा किया गया है। विधि व्यवस्था के अनुसार गाटा सं0 83/1.001 हे0 मे से 0.5[illegible] हे0 अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है।

आदेश

[illegible] तहसीलदार मेंहदावल की आख्या दिनांक 08.08.2022 स्वीकार की जाती है। ग्राम अछिया [illegible] मेंहदावल परगना मगहर पूरब तहसील मेंहदावल जनपद सन्तकबीर नगर के खतौनी [illegible]425-1430 फ0 के खाता सं0 11 के गाटा सं0 83/1.0010 हे0 मे से रकबा 0.501 हे0 प्रेमा दे[illegible] [illegible]र्श सेवा समिति अछिया मेंहदावल सन्तकबीर नगर द्वारा सचिव/प्रबन्धक चन्द्रशेष[illegible] [illegible]ण्डेय पुत्र रामनरायन पाण्डेय साकिन अछिया तप्पा मेंहदावल के पक्ष में अकृषिक घोषित कि[illegible] जाता है। परवाना जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में संचित ह[illegible]

उपजिलाधिकारी

मेंहदावल, सन्तकबीरनगर।

[illegible] निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनाँकित एवं उद्घोषित किया गया।

उपजिलाधिकारी

मेंहदावल, सन्तकबीरनगर।

10-8-22